होमगार्डस विभाग के मृतक वैतनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को वैतनिक पदों पर नियुक्त किये जाने के संबंध में मुख्यालय के आदेश

क्र0 सं0	दिनांक	मुख्यालय के आदेश संख्या-	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	28-05-2009	2843/कार्मिक/न-83/2009	होमगार्डस विभाग के मृतक वैतनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को वैतनिक पदों पर नियुक्त किये जाने के संबंध में फूलप्रूफ सिस्टम लागू किया जाना।	**02**
2	24-06-2020	5269/कार्मिक/ह0प्र0-18-2018	होमगार्डस विभाग के वर्दीधारी अराजपत्रित संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती व मृतक आश्रित भर्ती द्वारा चयन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा /लिखित परीक्षा के मानकों का निर्धारण	**15**
3	11-09-2020	7293/कार्मिक/ह0प्र0-18-2018(संशोधनादेश)	होमगार्डस विभाग के वर्दीधारी अराजपत्रित संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती व मृतक आश्रित भर्ती द्वारा चयन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा /लिखित परीक्षा के निर्धारित मानकों में संशोधन।	**18**
4	16-04-2021	7293/कार्मिक/ह0प्र0-18-2018(संशोधनादेश)	होमगार्डस विभाग के वर्दीधारी अराजपत्रित संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती व मृतक आश्रित भर्ती द्वारा चयन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा /लिखित परीक्षा के निर्धारित मानकों में संशोधन।	**22**
5	16-06-2021	4780/कार्मिक/न-83/2009	होमगार्डस विभाग के मृतक वैतनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को वैतनिक पदों पर नियुक्त किये जाने के संबंध में फूलप्रूफ लागू सिस्टम के अन्तर्गत स्वहस्ताक्षरित पमाण पत्रों एवं शपथ पत्र प्राप्त किया जाना।	**23**

<u>अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण</u>
<u>विशेष वाहक द्वारा</u>

होम गार्डस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्याः 2843/कार्मिक/न-83/2009, दिनांकः मई 28, 2009

प्रेषित,

1- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान,
होमगार्डस, लखनऊ।

2- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगाईस,
आगरा/इलाहाबाद।

3- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट,
होमगार्डस,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिला कमाण्डेन्ट,
होम गार्डस,
उत्तर प्रदेश।

5- नगर कमाण्डेन्ट,
होमगार्डस,
लखनऊ।

6- समस्त कमाण्डेन्ट,
जिला प्रशिक्षण केन्द्र,
होम गार्डस, उ०प्र०।

विषयः - उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के अधीन सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य का मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में "फुलप्रूफ सिस्टम" को लागू किया जाना ।

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में यह तथ्य संज्ञान में लाना है कि विगत वर्षों में कतिपय मृतक आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और रिट याचिकायें मा० न्यायालयों में योजित/विचाराधीन है। इसके अतिरिक्तं विभिन्न विभागों में नियुक्तियों में फर्जी प्रमाण-पत्र भी पाये गये जिसके फलस्वरूप उनकी सेवायें भी समाप्त की गई। अस्तु मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली-1974 के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया को और अधिक फुलप्रूफ बनाये जाने एवं प्रत्येक स्तर पर दायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता है ।

2- उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासनादेशों में निहित प्राविधानों/निर्देशों के अनुपालन में मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन के सम्बन्ध में होमगार्डस मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में वर्तमान में निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः-

(1) मृतक आश्रितों के सेवायोजन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित-1993 एवं 2006 के अधीन उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

(2) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र लिया जायेगा जिसमें दिनांक व हस्ताक्षर अंकित होगा। साथ ही सक्षम प्राधिकारी का पृष्ठांकन अवश्य अंकित होगा और इकाई के प्राप्ति रजिस्टर में चढ़ाया जायेगा जिससे यह निर्धारित किया जा सकेगा कि उक्त आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र 05 वर्ष के अन्दर हो दिया गया है अथवा बाद में।

(3) मृतक आश्रित द्वारा दिये गये समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से कराया जायेगा तथा हाईस्कूल से कम शिक्षित होने पर उसके शैक्षिक प्रमाण-पत्र का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक से कराया जायेगा। आरक्षित वर्ग के आश्रितों के जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा। सभी सत्यापन आख्यायें प्रस्ताव के साथ मूल रूप में ही होम गार्डस मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा इसकी द्वितीय प्रति सम्बन्धित जनपद/इकाई की पत्रावली पर रखा जायेगा, जो स्थायी अभिलेख होगा।

(4) यदि किसी मामले में एक से अधिक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हैं तो सक्षम प्राधिकारी उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम-7 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त मृतक आश्रित का चयन करके प्रस्ताव तैयार करायेंगे।

(5) होमगार्डस मुख्यालय को भेजे जाने वाले मृतक आश्रित के सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव का चेकलिस्ट 36 बिन्दुओं का होगा, जिसमें प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट सूचना अंकित करने के पश्चात चेकलिस्ट में अंकित बिन्दुओं के समक्ष भेजे जाने वाले प्रपत्रों का परिशिष्ट के रूप में उल्लेख किया जायेगा। (चेकलिस्ट प्रारूप की प्रति संलग्न है।)

(6) मृत सरकारी कर्मचारी से सम्बन्धित सभी सूचनायें उसके सेवाभिलेख में अंकित तथ्यों के आधार पर ही अंकित की जायेगी। जन्मतिथि/भर्ती की तिथि एवं मृत्यु की तिथि के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में क्रमशः सेवाभिलेख के प्रथम पृष्ठ एवं मृत्यु का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।

(7) मृत सरकारी कर्मचारी के कुटुम्ब की सूची के सम्बन्ध में पेन्शन भाग-2 की प्रमाणित प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न की जायेगी।

(8) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित-1993 तथा 2006 के अधीन सेवायोजन का लाभ दिये जाने के संबंध में मृत कर्मचारी के मूल निवास एवं अस्थायी निवास (यदि कोई हो) के पते पर वैतनिक निरीक्षक अथवा जिला कमाण्डेण्ट के सहायक से जाँच करायी जायेगी, जिसमें चेकलिस्ट के प्रारूप के बिन्दु नं०-10 के अनुरूप स्पष्ट आख्या प्राप्त की जायेगी। जाँच आख्या प्रस्ताव के साथ मूल रूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर प्रेषित की जायेगी।

(9) सेवायोजन हेतु मृत कर्मचारी की पत्नी से इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है। शपथी से फोटोग्राफ युक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूल रूप में प्रेषित किया जायेगा।

(10) सेवायोजन हेतु मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के अन्य समस्त वयस्क सदस्यों का इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वे किसे सेवायोजन दिलाना चाहते हैं। शपथी से फोटोग्राफ युक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा जो प्रस्ताव के साथ मूल रूप में प्रेषित किया जायेगा।

(11) सेवायोजन हेतु प्रस्तावित मृतक आश्रित से फोटोग्राफ युक्त शपथ-पत्र लिया जायेगा, जो प्रस्ताव के साथ मूल रूप में प्रेषित किया जायेगा।

(12) उ०प्र० सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित-1993 तथा 2006 के अधीन किसी भी आश्रित को सेवायोजन का लाभ नहीं दिया गया है, से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा।

(13) मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन उसके स्थायी व अस्थायी पते पर पुलिस द्वारा कराया जायेगा, जिसे मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा। चरित्र सत्यापन प्रपत्र पर मृतक आश्रित

अभ्यर्थी की फोटोग्राफ चस्पा होगी जिसे सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा किस व्यक्ति का चरित्र सत्यापन किया गया है।

(14) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो छः माह से अधिक का न हो, मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।

(15) मृतक आश्रित का पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ प्रस्ताव के प्रस्तर-30 के समक्ष चस्पा किया जायेगा एवं दो फोटोग्राफ अलग से सादे कागज पर चस्पा किया जायेगा जिसपर मृतक आश्रित का विवरण अंकित किया जायेगा जिसे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं ही प्रमाणित किया जायेगा।

(16) मृत आश्रित की नाप-जोख सादे कागज पर किया जायेगा। जिला कमाण्डेंट के सहायक द्वारा नाप-जोख स्वयं किया जायेगा और अपनी हस्तलिपि से नाप अंकित की जायेगी तथा प्रमाण-पत्र पर आश्रित की फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा। जिला कमाण्डेन्ट के सहायक द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर के साथ नाम एवं पदनाम की मुहर तथा दिनांक अंकित की जायेगी। प्रमाण-पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कटिंग अथवा ओवर-राइटिंग नहीं की जायेगी। प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वर्य प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।

(17) मृतक आश्रित का चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल मैनुअल में निर्धारित प्रारूप पर ही किया जायेगा। किसी पद पर नाप-जोख की आवश्यकता होगी तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नाप-जोख तथा वजन भी अंकित किया जायेगा तथा प्रमाण-पत्र पर आश्रित का फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित किया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर के साथ नाम एवं पदनाम की मुहर एवं दिनांक अंकित की जायेगी। प्रमाण-पत्र पर किसी भी प्रकार की कोई कटिंग अथवा ओवरराइटिंग नहीं की जायेगी। प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रति- हस्ताक्षरित कर मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित किया जायेगा।

(18) उ०प्र० मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित-1993 तथा 2006 के अधीन इस आशय का प्रमाण-पत्र कि प्रस्तावित मृतक आश्रित के सम्बन्ध में प्रेषित की जाने वाली सभी सूचनाओं का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है। अंकित सूचनायें एवं संलग्न प्रपत्र पूर्णतया सत्य हैं एवं प्रकरण का कार्यालय में रखे मृतक आश्रितों के सेवायोजन प्रदान किये जाने विषयक स्थायी रजिस्टर में क्रमांक ..... पर अंकित कर दिया गया है।

(19) उ०प्र० मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 एवं संशोधित-1993 तथा 2006 के अन्तर्गत तैयार किये गये प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं उसके साथ.......................

(20) मृतक आश्रित के सेवायोजन का प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी ही लेकर जायेंगे। इस आशय का प्राधिकार -पत्र भी लायेंगे कि उन्हें सेवायोजन प्रस्ताव होमगार्ड्स मुख्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है। प्राधिकार-पत्र में भेजे जाने वाले प्रस्ताव का उल्लेख होगा तथा नामित अधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर सम्बन्धित जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा।

(21) मृतक आश्रित का जो प्रस्ताव होमगार्डस मुख्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, उसकी एक अतिरिक्त प्रति स्व० कर्मी के सम्बन्धित प्रस्तावक कार्यालय में स्थायी रूप से रखी जायेगी जिसे कभी नष्ट नहीं किया जायेगा और यह स्थायी अभिलेख होगा।

(22) मृतक आश्रित के सेवायोजन के प्रकरण में जो भी पत्राचार जनपद/इकाई से किया जायेगा उस पर अधिकारी का नाम/पदनाम अंकित होगा अन्यथा होमगार्डस मुख्यालय उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

3- वांछित प्रमाण-पत्रों सहित प्राप्त मृतक आश्रित के प्रस्ताव का परीक्षण निम्नानुसार किया जायेगा :--

(1) समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों/सूचनाओं के साथ प्राप्त मृतक आश्रित के प्रस्ताव को सम्वन्धित पटल सहायकों द्वारा पत्रावली पर अग्रिम आदेश हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर/वैतनिक प्लाटून कमाण्डर के पद सीधी- भर्ती के भी हैं तथा वर्दीधारी हैं। इन पदों पर भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता एवं अन्य परीक्षाएं निर्धारित है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश होमगार्डस सेवा नियमावली-1982 समूह "ग" में सीधी भर्ती हेतु चयन बोर्ड का गठन किया गया है। अतः कमाण्डेन्ट जनरल, कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस (विभागाध्यक्ष) से इन पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के उद्देश्य से चयन समिति का गठन कराकर शारीरिक मापदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अन्य परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। यदि मृतक आश्रित निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हुए इन परीक्षाओं में उपयुक्त पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी योग्यता के अनुसार मृतक आश्रित को नियुक्ति-पत्र प्रदान करेगा।

(3) लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पद पर नियुक्ति के लिए भी पद की शैक्षिक योग्यता एवं पद विषयक परीक्षाएं सक्षम अधिकारी द्वारा होमगाईस मुख्यालय पर ली जायेगी और उपयुक्तता के अधार पर सम्बन्धित जनपद/इकाई के अधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी) को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने हेतु पत्र जारी किया जायेगा।

(4) मृतक आश्रित की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति अधिकारी पूरी तरह सन्तुष्ट होने के उपरान्त मृतक आश्रित से एक शपथ-पत्र, जिसमें उसका फोटोग्राफ भी चस्पा होगा, लेंगे, जिसमें स्वर्गीय कर्मी का नाम, पदनाम, मृत्यु का दिनांक तथा उसके वास्तविक मृतक आश्रित होने एवं परिवार के अन्य किसी सदस्य द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ न लिये जाने का उल्लेख होगा। शपथ-पत्र में यह भी उल्लिखित कराया जाये कि नियुक्ति के उपरान्त उसके द्वारा यदि मृतक आश्रित का भरण-.. पत्रावली पर रखा जायेगा तथा दूसरी छायाप्रति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रमाणित करते हुए मृतक आश्रित के नियुक्ति आदेश की प्रति सहित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्वयं के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा इसे होमगार्डस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(5) मृतक आश्रितों के पक्ष में जनपद/इकाई स्तर से निर्गत होने वाले आदेश फुल-स्केप पेपर पर ही निर्गत किया जायेगा।

(6) किसी भी मृतक आश्रित को सर्वप्रथम उसी जनपद/इकाई में नियुक्ति प्रदान की जायेगी, जिस जनपद/इकाई से आश्रितं के स्वर्गीय पिता/ पति की मृत्यु हुई थी, किन्तु यदि आश्रित महिला है तो उसे यथासम्भव गृह जनपद की इकाई/कार्यालय में नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(7) मृतक आश्रित के सेवायोजन के उपरान्त उसे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष तक उसे किसी परिस्थिति में वहाँ से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि किसी स्तर से उसका स्थानान्तरण हो जाता है तो सम्बन्धित जनपद/इकाई से उक्त आश्रित को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष तक किसी भी परिस्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि किन्हीं विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो तो इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्रेषित कर होमगार्डस मुख्यालय का स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त कर लिया जाये।

4- कृपया मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजित करने के सम्बन्ध में दिये जा रहे दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह परिपत्र कार्यालय की गार्ड फाईल में स्थायी रूप से रखा जायेगा। यह लाभ सिर्फ वैतनिक राजकीय कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों के लिए है। संगठन के अवैतनिक पदाधिकारियों/होमगाईस स्वयं-सेवकों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार। (05 पत्र)

महावीर सिंह
डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

(1) मुख्यालय के समस्त अधिकारियों को।

(2) प्रशासनिक अधिकारी, (कार्मिक/लेखा) होमनाईस मुख्यालय।

(3) कार्यालय अधीक्षक, होमगाईस मुख्यालय।

(4) सर्वश्री राम कुँवर वर्मा/राधेश्याम, वरिष्ठ सहायक एवं विनय कुमार सिंह, श्रीमती राज लाम्बा तथा श्रीमती कुसुम पाण्डेय, वरिष्ठ लिपिक, होमगार्डस मुख्यालय।

(5) मुख्यालय की गार्ड फाइल पर रखने हेतु।

महावीर सिंह
डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल।

चेक लिस्ट/प्रारूप

उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 सपठित नियमावली-1993, 2006 के अधीन सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितो में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव

1-	मृत सरकारी सेवक का नाम	---------------------------
2-	मृत सरकारी सेवक का पदनाम	---------------------------
3-	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु पूर्व नियुक्ति स्थान/ कार्यालय का नाम	---------------------------
4-	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवा अभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)	परिशिष्ट -------------------
5-	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि	---------------------------
6-	मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का प्रकार (तदर्थ/नियमित/स्थाई/अस्थाई आकस्मिक)	---------------------------
7-	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि (मृत्यु का प्रमाण-पत्र के अनुसार, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किये जाये)।	---------------------------
8-	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु के परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण	---------------------------
9-	मृत सरकारी सेवक, मृत्यु के समय डियूटी पर था अथवा अवकाश पर	---------------------------
10-	मृत सरकारी सेवक के कटुम्ब के नाम सदस्यो का नाम आयु (हाईस्कूल की नाम सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के नाम-अनुसार) तथा आय व वैवाहिक स्थिति	नाम---------------------------आयु
11-	मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नियों हो तो पत्नियो के नाम नाम- आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार)	नाम---------------------------आयु
12-	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है, विवरण एंव परिवार के समस्त सदस्यो परिशिष्ट वयस्क/अवयस्क दोनो का विवरण (नाम/आयु/शिक्षा/व्यवसाय) अकिंत होग सम्मिलित हो से सम्बन्धित शपथ-पत्र।	परिशिष्ट---------------------------
13-	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यो का वार्षिक आय का विवरण	परिशिष्ट--------------------------- परिशिष्ट---------------------------
14-	इस आशय का प्रमाण-पत्र की स्थायी अभिलेख एवं पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत परिशिष्ट कुटुम्ब की सूची से सेवायोजन	सदस्यों के नाम की सूची परिशिष्ट-------

	व प्रस्ताव के लिये प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली गयी कोई अन्तर नही पाया गया है पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की प्रमाणित प्रति (पेंशन प्रपत्र भाग दो संलग्न किया जाय)	पेंशनभाग दो की प्रमाणित सूची परिशिष्ट-----------------
15-	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों का शपथ-पत्र/सहमति जिन्हें सेवायोजन दिलाना चाहते हो, के पक्ष में।	परिशिष्ट--------------------------- परिशिष्ट--------------------------- परिशिष्ट--------------------------- परिशिष्ट---------------------------
16-	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये पी०पी०ओ०/जी०पी०ओ० की संख्या व दिनांक (प्रमाण हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	----------------------------------- ----------------------------------- ---------------- परिशिष्ट---------- -----------------
17-	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यों द्वारा सेवायोजन की मॉग की जा रही है तो उनमें से जिस आश्रित को नामित किया जा रहा है उससे नामित किये जाने के कारण सहित विस्तृत विवरण अंकित करें	----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- --------------------------------
18-	मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली- 1974 के अर्न्तगत इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी आश्रित सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट किया जाय किस सम्बन्धित को किस पद पर नियुक्ति दी गयी है तथा इस सम्बन्ध में होमगार्डस मुख्यालय के आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख करें।	
19-	इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 सपठित नियमावली-1993, 2006 के अधीन के सेवायोजन का लाभ प्रदान नहीं किया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।	परिशिष्ट---------------------------
20-	मृत सरकारी सेवक के घर के पते (स्थायी एंव अस्थायी) पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से कराई गयी जाँच आख्या की मूल प्रति जिसमें मृतक के कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को पूर्व में सेवायोजन का लाभ तो प्रदान नही किया गया है तथा अवयस्क/वयस्क सदस्यों की वैवाहिक स्थिति तथा आय का स्रोत और यदि किसी सेवा में है तो उसका विवरण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र	परिशिष्ट--------------------------- अनुलग्नक:- अनुलग्नक:- अनुलग्नक:- अनुलग्नक:-
21-	मृतक आश्रित का नाम	----------------------------------- -

22-	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल के सनद अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अंको तथा शब्दो में।	---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ---
23-	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता	---------------------------------- -
24-	मृत सरकारी सेवक के आश्रित का शपथ-पत्र जिन्हे सेवायोजन हेतु नामित किया गया है।	परिशिष्ट--------------------------
25-	मृतक आश्रित का प्रार्थना-पत्र जिसमें शैक्षिक योग्यता आयु, अपेक्षित पद का उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाण-पत्र (यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनांक सहित)	प्रार्थनापत्र परिशिष्ट-------------------------- परिशिष्ट-------------------------- परिशिष्ट-------------------------- परिशिष्ट-------------------------- परिशिष्ट--------------------------
26-	शैक्षिक प्रमाण-पत्रों/अंक तालिकाओं का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय से एंव हाईस्कूल से कम शिक्षित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	मा0शि0बोर्ड- परिशिष्ट------------- विश्वविद्यालय परिशिष्ट------------ जि0वि0नि0 परिशिष्ट-------------
27-	मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व अस्थाई पते पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्धारा कराया गया चरित्र सत्यापन आख्या संलग्न की जायेगी ।	स्थाई पते पर परिशिष्ट--------------- अस्थाई पते पर परिशिष्ट--------------- अभि0मुख्यालय परिशिष्ट---------------
28-	मृतक आश्रित के पक्ष दो राजपत्रित अधिकारियो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो छः से पुराना न हो	1-राजपत्रित अधिकारी नाम--------- - परिशिष्ट--------------- 2-राजपत्रित अधिकारी नाम--------- परिशिष्ट---------------
29-	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो जीवित पत्नी का नाम/आयु व शैक्षिक योग्यता	नाम----------------- आयु
30-	मृतक आश्रित से निम्न स्थिति में तत्सम्बन्धी विवरण सहित सहित इस आशय घोषणा पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाय	---------------------------------- ------- परिशिष्ट---------------

<table>
<tr><td></td><td>कि
1- यदि वर्तमान समय में मृतक आश्रित कही सेवारत है?
2-यदि पूर्व में सेवारत रहा हो?
3-यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो?
4-यदि सेवा से पृथक कर दिया गया हो तो</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>31-</td><td>यदि मृतक आश्रित आरक्षित वर्ग का है तो जाति प्रमाण-पत्र पत्र (जो जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा)</td><td colspan="3">1-प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले राजपत्रित अधिकारी
नाम-------------------------------
परिशिष्ट---------------</td></tr>
<tr><td>32-</td><td>मृतक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छः से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाये</td><td colspan="3">प्रमाणित फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><td rowspan="3">33-</td><td rowspan="3">मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें। जिला कमाण्डेन्ट के सहायक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)</td><td>ऊँचाई</td><td>सीना फुलाने पर</td><td>सीना बिना फुलाये</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">34-</td><td rowspan="3">मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र छः माह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (पुरूष चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र) (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)</td><td>ऊँचाई</td><td>सीना फुलाने पर</td><td>सीना बिना फुलाये</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>35-</td><td>इस आशय का प्रमाण-पत्र की जिला कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित समायोजन रजिस्टर" में अंकित कर दिया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।</td><td colspan="3">स्थाई रजिस्टर का
पृष्ठ संख्या-----------------
क्रम संख्या----------------
प्रमाण-पत्र----------------
परिशिष्ट------------------</td></tr>
<tr><td>36-</td><td>इस आशय का प्रमाण-पत्र की उपरोक्त क्रम सं0 01 से लेकर क्रम संख्या--35 तक अंकित सभी प्रविष्टियो को मेरे द्वारा भॅली भाँति जाँच कर लिया गया है जो सूचनाये अंकित है वे सही है एवं आवेदक द्वारा माँगे जा रहे पद पर सेवायोजन की संस्तुति को जाती है। (अपेक्षित पद नाम का उल्लेख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करते हुये संस्तुति की जायेगी)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

कार्यालय प्रमुख का नाम
पद नाम
जनपद/इकाई का नाम

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद/इकाई ---के पत्र संख्या--दिनांक---------------------------------- के माध्यम से प्रेषित स्व0 --- जिनकी मृत्यु दिनांक ------------------ सेवाकाल में हुई है के आश्रित श्री-- - को ---------------------------के पद पर सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव होम गार्डस मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है। यह प्रस्ताव समस्त संलग्नको सहित जनपद/इकाई ---------------------------------- से ही प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रो का परीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है, प्रस्ताव पूर्णतया सही है तथा इसी जनपद/इकाई के स्व० कर्मी के वास्तविक आश्रित के पक्ष में प्रस्ताव है। यह प्रकरण फर्जी नही है एवं मृतक आश्रित के द्वारा उपलब्ध कराये गये शिक्षा एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की सत्यता की पुष्टि कमशः जिला विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित जिला अधिकारी के माध्यम से करा ली गयी है। इसके पूर्व इस स्व० कर्मी के किसी अन्य आश्रित को सेवायोजन का लाभ नही दिया गया है। इसकी पुष्टि अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाती है ।

हस्ताक्षर
नाम-
पदनाम :
कार्यालय का नागः-
(राजपत्रित अधिकारी का नाम/
पदनाम की मुहर)

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक ------------------------------------को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

(नियुक्ति देने के पूर्व मृतक आश्रित से लिये जाने वाले शपथ-पत्र)

<u>शपथ-पत्र का प्रारूप</u>

शपथी का फोटोग्राफ नोटरी द्वारा प्रमाणित

नाम-----------------------------उम्र--------------वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0 -------------------- निवासी ग्राम -------------------------पोस्ट-----------------थाना-----------------जनपद------------ का शपथ-पत्र

मैं ------------------------------------ उपर्युक्त अधिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता है:-

(1) यह कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सूचना/शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिया गया है यह सही है।

(2) यह कि शपथी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध में दिये गये मृतक कर्मी के सम्बन्ध में नाम/पद/नियुक्ति का विवरण आदि सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है।

(3) यह कि शपथी के परिवार के स्व0 कर्मी की मृत्यु के बाद किसी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ नहीं लिया गया है।

(4) यह कि शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 3 तक में अंकित कथन सत्य है व शपथी द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अधिसाक्षी के हस्ताक्षर

<u>प्रमाण पत्र</u>

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के अधीन जनपद/इकाई ---------------------------- स्व0-- के आश्रित---------------------------का मृतक आश्रित के रूप में -----------------------के पद पर सेवायोजन हेतु शारीरिक नाप जोख विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई----------------------सेन्टीमीटर

<u>सीने की नाप (पुरूष अभ्यर्थी के लिये)</u>

सीना बिना फुलाये----------------
सीना फुलाने पर------------------

<u>मृतक आश्रित का वजन (महिला अभ्यर्थी के लिये)</u>

वजन---------------------------किलोग्राम में

हस्ताक्षर :-
नाम :-
पदनामः-

<u>प्रतिहस्ताक्षरित</u>

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम/
पदनाम की मुहर)

(नियुक्ति देने से पूर्व मृतक आश्रित से लिये जाने वाला शपथ-पत्र)

"शपथ-पत्र का प्रारूप"

शपथी का फोटोग्राफ नोटरी द्वारा प्रमाणित

नाम ....उम्र..................................वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व० .... निवासी ग्राम ....पोस्ट.............................. थाना...........................जनपद........................... का शपथ-पत्र

मैं .... उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक यह अभिकथ करता है कि मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति के उपरान्त यदि मृतक के आश्रित का भरण-पोषण करने में कोई हीला-हवाली एवं असफल रहता है तो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली एवं उत्तर प्रदेश कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मेरी सरकारी सेवायें समाप्त कर दी जायें, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

होमगार्डस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

फोन+91-522-200501 सीयूजी-91-8005194006 फैक्स+ 91-522-2450251 ईमेल cghg-up@nic.in

संख्याः 5269/कार्मिक/ह०प्र०-18/2018 दिनांकः जून 24, 2020

आदेश

होमगार्डस विभाग के वर्दीधारी अराजपत्रित संवर्ग के पदों यथा क्वार्टर गार्ड होमगार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर/प्लाटून कमाण्डर के पदों पर सीधी भर्ती व मृतक आश्रित भर्ती द्वारा चयन हेतु निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानकों को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के समकक्षीय वर्दीधारी पदों के लिए निर्धारित मानकों के समान निर्धारण हेतु गठित समिति की कार्यवृत्ति दिनांक 26-12-2019 एवं समिति की अनुपूरक कार्यवृत्ति दिनांक 30-01-2020 में की गई संस्तुति पर विचारोपरान्त वर्दीधारी पदों से सम्बन्धित “उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स सेवा नियमावली-1982 (समूह-ग)" तथा उत्तर प्रदेश होमगार्डस समूह "घ" (तकनीकी कर्मचारी) सेवा नियमावली, 2009 के भाग 5-भर्ती की प्रकिया के प्रस्तर-15 के उप प्रस्तर-(2) की टिप्पणी में की गई यह व्यवस्था कि "प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यकम और उसकी प्रकिया ऐसी होगी जैसी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस द्वारा समय-समय पर विहित की जाये", के क्रम में पूर्व में निर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानकों के निर्धारण सम्बंधी अशासकीय पत्र संख्या 961/पीएडीजी विविध/2009, दिनांक 19-02-2009 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या 757/कार्मिक/बी0ओ0-407/2008, दिनांक 04-02-2010, संशोधनादेश संख्या 1210/कार्मिक/बी०ओ०-407/2008, दिनांक 25-02-2010 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या 4417/स्था/एक-19/1993, दिनांक 03-10-2012 में पारित आदेशों को अतिक्रमित करते हुए नवीन मापदण्ड/प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसकी प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है-

1-शैक्षिक योग्यता

क्वार्टर गार्ड होमगार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर/प्लाटून कमाण्डर के पदों पर भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता का निर्धारण निम्नानुसार है :-

1- क्वार्टर गार्ड होमगार्ड - हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

2- हवलदार प्रशिक्षक - इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

3- ब्लाक आर्गनाइजर/प्लाटून कमाण्डर - स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

2- शारीरिक मापदण्ड

क्वाटर गार्ड होमगार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर/प्लाटून कमाण्डर पदों के सीधी भर्ती एवं मृतक आश्रित भर्ती के अभ्यर्थियों हेतु -

मापदण्ड	मानक
पुरुष अभ्यर्थी सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतुः- ऊंचाई सीना बिना फुलाये सीना फुलाने पर	 167.7 से०मी० (न्यूनतम) 78.8 से०मी० (न्यूनतम) 83.8 से०मी० (न्यूनतम)
पर्वतीय अभ्यर्थियों हेतुः- ऊंचाई सीना बिना फुलाये	 162.6 से०मी० (न्यूनतम) 78.5 से०मी० (न्यूनतम)

सीना फुलाने पर	81.5 से०मी० (न्यूनतम)
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतुः- ऊंचाई सीना बिना फुलाये सीना फुलाने पर	 160 से०मी० (न्यूनतम) 76.5 से०मी० (न्यूनतम) 81.5 से०मी० (न्यूनतम)
महिला अभ्यर्थी	
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतुः- ऊंचाई	152 से०मी० (न्यूनतम)
पर्वतीय एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों हेतुः- ऊंचाई	147 से०मी० (न्यूनतम)

अभ्यर्थियों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है।

3-शारीरिक दक्षता परीक्षा

उपरोक्त प्रस्तर-2 में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की निम्नानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जायेगी:-

(अ) सीधी भर्ती के पदों हेतु :- क्वार्टर गार्ड होमगार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर/वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	
पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड़	25 मिनट में
महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 कि०मी० की दौड़	14 मिनट में
(ब) मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पदों हेतु :- क्वार्टर गार्ड होमगार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर	
पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड़	30 मिनट में
महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 कि०मी० की दौड	19 मिनट में

उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालीफाइंग रहेगी तथा निर्धारित अवधि में दौड़ न पूरी कर पाने वाले अभ्यर्थी को चयन हेतु अनुपयुक्त माना जायेगा।

4- लिखित परीक्षा

1-**सीधी भर्ती** में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की स्नातक स्तर की वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की 100 अंकों की लिखित परीक्षा ली जायेगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे तथा परीक्षा की अवधि 02 घण्टा होगी। न्यूनतम 33 अंकों से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण माना जायेगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के अन्तर्गत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणीवार श्रेष्ठता कम के अनुसार मैरिट सूची तैयार की जायेगी।

2-**मृतक आश्रित** भर्ती के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को प्रस्तर-2 के अनुरूप शारीरिक मापदण्ड पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय पृष्ठ के प्रस्तर-3 (ब) के अनुसार उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा करायी जायेगी एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए जाने के उपरान्त ही नीचे अंकित पदों पर उनके समक्ष अंकित शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित किया जायेगा:-

अ- ब्लाक आर्गनाजर - स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

ब- हवलदार प्रशिक्षक - इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
स- क्वार्टर गार्ड होमगार्ड - हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल पाये गये मृतक आश्रित अभ्यर्थियों को अन्य पदों यथा-लिपिक/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर विकल्प लेकर विकल्प के आधार पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

6-**<u>साक्षात्कार</u>**

शासनादेश संख्या 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक 31-08-2017 के अनुसार समूह-ग एवं घ की भर्तियों हेतु साक्षात्कार लिये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अत: सीधी भर्ती/मृतक आश्रित भर्ती में साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विजय कुमार)
कमाण्डेन्ट जनरल

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- होम गार्डस मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
2- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होम गार्डस, लखनऊ।
3- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होम गार्डस, प्रयागराज (पूर्वांचल)/झॉसी(बुन्देलखण्ड)/आगरा(पश्चिम)।
4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होम गार्डस, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होम गार्डस, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कमाण्डेन्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होम गार्डस्, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्यालय के स्थापना अनुभाग के समस्त कार्मिकों को।
8- गार्ड फाइल पर रखने हेतु।

(विजय कुमार)
कमाण्डेन्ट जनरल

होमगार्डस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

फोन+ 91-522-2465501 सीयूजी-91-6005194008, फैक्स + 91-522-2450251, ईमेल cghg-up@nic.in

संख्याः 7293/ कार्मिक/ह०प्र०-18/2018 दिनांकः सितम्बर 11, 2020

संशोधनादेश

होमगार्ड्स विभाग के वर्दीधारी अराजपत्रित संवर्ग के पदों यथा क्वार्टर गार्ड होमगार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर/प्लाटून कमाण्डर के पदों पर सीधी भर्ती व मृतक आश्रित भर्ती द्वारा चयन हेतु निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानकों को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के समकक्षीय वर्दीधारी पदों के लिए निर्धारित मानकों के समान निर्धारण हेतु गठित समिति की कार्यवृत्त दिनांक 26-12-2019 एवं समिति की अनुपूरक कार्यवृत्त दिनांक 30-01-2020 में की गई संस्तुति पर विचारोपरान्त वर्दीधारी पदों से सम्बन्धित "उत्तर प्रदेश होमगार्डस सेवा नियमावली-1982 (समूह-ग)" तथा उत्तर प्रदेश होमगार्डस समूह "घ"(तकनीकी कर्मचारी) सेवा नियमावली, 2009 के भाग 5-भर्ती की प्रक्रिया के प्रस्तर-15 के उप प्रस्तर-(2) की टिप्पणी में की गई यह व्यवस्था कि "प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और उसकी प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स द्वारा समय-समय पर विहित की जाये", के क्रम में पूर्व में निर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानकों के निर्धारण सम्बधी अशासकीय पत्र संख्या 961/पीएडीजी-विविध/2009, दिनांक 19-02-2009 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या 757/कार्मिक/बी0ओ0-407/2008, दिनांक 04-02-2010, संशोधनादेश संख्या 1210/कार्मिक/बी०ओ०-407/2008, दिनांक 25-02-2010 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्याः 4417/स्था/एक-19/1993, दिनांक 03-10-2012 में पारित आदेशों को अतिक्रमित करते हुए नवीन मापदण्ड/प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसकी प्रक्रिया **आदेश संख्या:5269/कार्मिक/ह०प्र०-18/2018 दिनांक 23/24-06-2020 द्वारा निर्धारित की गयी थी। उक्त आदेश में निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है**:-

1-शैक्षिक योग्यता

क्वार्टर गार्ड होमगार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर/प्लाटून कमाण्डर के पदों पर भर्ती हेतु शैक्षिक योग्यता का निर्धारण निम्नानुसार है:-

1- क्वार्टर गार्ड होमगार्ड - हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2- हवलदार प्रशिक्षक - इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
3- ब्लाक आर्गनाइजर/प्लाटून कमाण्डर - स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

2-शारीरिक मापदण्ड

क्र्वाटर गार्ड होमगार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर/प्लाटून कमाण्डर पदों के सीधी भर्ती एवं मृतक आश्रित भर्ती के अभ्यर्थियों हेतु :-

मापदण्ड	मानक
पुरुष अभ्यर्थी	
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतुः-	
ऊंचाई	167.7 से०मी० (न्यूनतम)
सीना बिना फुलाये	78.8 से०मी० (न्यूनतम)
सीना फुलाने पर	83.8 से०मी० (न्यूनतम)
पर्वतीय अभ्यर्थियों हेतुः-	
ऊंचाई	1626 से०मी० (न्यूनतम)

सीना बिना फुलाये सीना फुलाने पर	76.5 से०मी० (न्यूनतम) 81.5 से०मी० (न्यूनतम)
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु- ऊंचाई सीना बिना फुलाये सीना फुलाने पर	160 से०मी० (न्यूनतम) 76.5 से०मी० (न्यूनतम) 81.5 से०मी० (न्यूनतम)

महिला अभ्यर्थी	
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु:- ऊंचाई	152 से०मी० (न्यूनतम)
पर्वतीय एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु:- ऊंचाई	147 से०मी० (न्यूनतम)

3- शारीरिक दक्षता परीक्षा

उपरोक्त प्रस्तर-2 में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जायेगी-

पूर्व व्यवस्था

(अ) सीधी भर्ती के पदों हेतु:- क्वाटर गार्ड होम गार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर/वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	
पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड	25 मिनट में
महिला अभ्यर्थियों हेतु 24 कि०मी० की दौड	14 मिनट में
(ब) मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पदों हेतु :- क्वार्टर गार्ड होमगार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर	
पुरूष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड	30 मिनट में
महिला अभ्यर्थियों हेतु 24 कि०मी० की दौड	19 मिनट में

नवीन व्यवस्था

(अ) सीधी भर्ती के पदों हेतु:- क्वाटर गार्ड होम गार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ ब्लाक आर्गनाइजर/वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	
पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड	25 मिनट में
महिला अभ्यर्थियों हेतु 24 कि०मी० की दौड	14 मिनट में
(ब) मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पदों हेतु :- क्वार्टर गार्ड होमगार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर	
पुरूष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड	30 मिनट में
महिला अभ्यर्थियों हेतु 24 कि०मी० की दौड	19 मिनट में
(स) मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अराजपत्रित कर्मी की आश्रित पत्नी के लिये सीधी भर्ती के पदों हेतु:- क्वार्टर गार्ड होमगार्ड/हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर	
मृतक की आश्रित पत्नी हेतु 24 कि०मी० की दौड़	30 मिनट में
(द) राजपत्रित अधिकारी की मृतक आश्रित पत्नी के लिये:- वैतनिक प्लाटून कमाण्डर (सीधी भर्ती) पद हेतु 2.4 कि०मी० की दौड़	30 मिनट में

उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालीफाइंग रहेगी तथा निर्धारित अवधि में दौड़ न पूरी कर पाने वाले अभ्यर्थी को चयन हेतु अनुपयुक्त माना जायेगा।

4- लिखित परीक्षा

1- सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की स्नातक स्तर की वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की 100 अंकों की लिखित परीक्षा ली जायेगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे तथा परीक्षा की अवधि 02 घण्टा होगी। न्यूनतम 33 अंकों से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण माना जायेगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के अन्तर्गत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणीवार श्रेष्ठता कम के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

2-मृतक आश्रित भर्ती के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को प्रस्तर-2 के अनुरूप शारीरिक मापदण्ड पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय पृष्ठ के प्रस्तर-3 (ब) के अनुसार उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा करायी जायेगी एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये जाने के उपरान्त ही नीचे अंकित पदों पर उनके समक्ष अंकित शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित किया जायेगा :-

पूर्व व्यवस्था		नवीन व्यवस्था
अ- ब्लाक आर्गनाइजर स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ब- हवदार प्रशिक्षक - इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण स- क्वार्टर गार्ड - हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होमगार्ड		अ-ब्लाक आर्गनाइजर - स्नातक अथवा सम्कक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। ब-हवलदार प्रशिक्षक - इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। स-क्वार्टर गार्ड होमगार्डस - हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। द-वैतनिक प्लाटून कमाण्डर - स्नातक अथवा सम्कक्ष (राजपित्रत अधिकारी की आश्रित पत्नी की लिये मात्र) परीक्षा उत्तीर्ण।

नोटः- वैतनिक प्लाटून कमाण्डर के पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती हेतु केवल राजपत्रित अधिकारी की पत्नी को ही छूट प्रदान की जाती है, जो उपरोक्तानुसार स्नातक अथवा समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होंगी तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रस्तर-3 में "नवीन व्यवस्था" शीर्षक के अन्तर्गत उप प्रस्तर-द में किये गये प्राविधान के अनुसार 2.4 कि०मी० की दौड़ 30 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल पाये गये मृतक आश्रित अभ्यर्थियों को अन्य पदों यथा-लिपिक/ चतुर्थ श्रेणी के पदों पर विकल्प के आधार पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

5- साक्षात्कार

शासनादेश संख्या 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक 31-08-2017 के अनुसार समूह-ग एवं घ की भर्तियों हेतु साक्षात्कार लिये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अतः सीधी भर्ती/मृतक आश्रित भर्ती में/साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विजय कुमार)
कमाण्डेन्ट जनरल

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- होमगार्डस मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

2- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्डस, लखनऊ।

3- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, प्रयागराज (पूर्वांचल)/झॉसी (बुन्देलखण्ड)/आगरा (पश्चिम)।

4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त कमाण्डेन्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।

7- मुख्यालय के स्थापना अनुभाग के समस्त कार्मिकों को।

8- गार्ड फाइल पर रखने हेतु।

(विजय कुमार)
कमाण्डेन्ट जनरल

होमगार्डस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

फोन+91-522-2465501 सीयूजी-91-6005194006, फैक्स + 91-522-2480251, ई0मेल cghg-up@nic.in

संख्याः 3866 / कार्मिक/ह०प्र०-18/2018 दिनांकः अप्रैल 16, 2021

संशोधनादेश

होमगार्डस मुख्यालय के संशोधनादेश संख्या 7293/कार्मिक/ह०प्र०-18/2018, दिनांक सितम्बर 11, 2020 द्वारा होमगार्डस विभाग के वर्दीधारी अराजपत्रित संवर्ग के पदों यथा क्वार्टर गार्ड होमगार्ड/ हवलदार प्रशिक्षक/ब्लाक आर्गनाइजर/वैतनिक प्लाटून कमाण्डर के पदों पर सीधी भर्ती व मृतक आश्रित भर्ती द्वारा चयन हेतु नवीन मापदण्ड/प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसकी प्रकिया निर्धारित की गई है, जिसके बिन्दु-4 में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की स्नातक स्तर की वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की परीक्षा लिये जाने का उल्लेख है, जबकि क्वार्टर गार्ड होमगार्ड की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल एवं हवलदार प्रशिक्षक संवर्ग की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित की गई है।

अतः उपरोक्त संशोधनादेश के बिन्दु-4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है-

पूर्व व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
<u>4- लिखित परीक्षा</u> 1-सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की स्नातक स्तर की वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की 100 अंकों की लिखित परीक्षा ली जायेगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे तथा परीक्षा की अवधि 02 घण्टा होगी। न्यूनतम 33 अंकों से कम जंक पाने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण माना जायेगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर आरक्षण नीति के अन्तर्गत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणीवार श्रेष्ठता कम के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी।	<u>4-लिखित परीक्षा</u> 1-सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की सम्बन्धित पद की निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की 100 अंकों की लिखित परीक्षा ली जायेगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे तथा परीक्षा की अवधि 02 घण्टा होगी। न्यूनतम 33 अंकों से कम. अंक पाने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण माना जायेगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के अन्तर्गत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणीदार श्रेष्ठता कम के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। शेष आदेश यथावत् रहेंगे।

(विजय कुमार)
कमाण्डेन्ट जनरल

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः</u>-

1- होमगार्ड्स मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
2- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्डस, लखनऊ।
3- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस, प्रयागराज (पूर्वांचल)/झाँसी (बुन्देलखण्ड)/आगरा (पश्चिम)।
4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्यालय के स्थापना अनुभाग के समस्त कार्मिकों को।
8- गार्ड फाइल पर रखने हेतु।

(विजय कुमार)
कमाण्डेन्ट जनरल

होमगार्डस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

फोन +91-522-2451285 सीयूजी +91-8005194102, फैक्स +91-522-2450251 ईमेल cghg-up@nic.in

संख्या: 4780/कार्मिक/न-83/2009 दिनांक: जून 16.2021

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के अधीन सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु 'फूलपूफ सिस्टम' लागू किये जाने हेतु मुख्यालय के परिपत्र संख्या-2843/कार्मिक/न-83/2009 दिनांक 28-5-2009 द्वारा मृतक आश्रित को सेवायोजित किये जाने से पूर्व 36 बिन्दुओं की सूचना प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है। मृतक आश्रित को सेवायोजित किये जाने से पूर्व उपरोक्त प्रक्रिया अपनाये जाने पर प्रायः यह देखा जा रहा है कि मृतक आश्रित अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों एवं चरित्र आदि के सत्यापन तथा अन्य बिन्दुओं की सूचना एकत्र किये जाने में काफी समय लग जाता है, परिणामस्वरूप संबंधित को समय से सेवायोजन प्राप्त नहीं हो पाता है और मृतक के परिवार को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पडता है।

अस्तु प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में मृतक आश्रित के सेवायोजन हेतु मृतक आश्रित अभ्यर्थी से उसके अद्यतन फोटो युक्त आवेदन-पत्र तथा शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, विशेष योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्र प्राप्त करते समय प्रत्येक प्रपत्र पर संबंधित के स्वः हस्तलेख में नाम, हस्ताक्षर तिथि सहित, का अंकन कराया जाये। अभ्यर्थी से आवेदन पत्र में ही इस आशय की घोषणा अंकित करायी जाये कि उसके द्वारा जो भी शैक्षिक एवं अन्य प्रपत्र सेवायोजन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं, वह सभी पूर्णरूप से सत्य एवं सही हैं। यदि सेवायोजन के उपरान्त प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में उनमें कोई कमी पायी जाती है या प्रमाण-पत्र कूटरचित या फर्जी पाये जाते हैं तो उसके लिये वह पूर्णरूप से स्वयं उत्तरदायी होगा तथा ऐसी स्थिति में उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाये। ऐसे अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया बिना रोके हुए उसके प्रमाण-पत्रों का सत्यापन भी तत्काल उसकी नियुक्ति के साथ ही तत्परतापूर्वक सुनिश्चित कराया जाये। मृतक आश्रित के सेवायोजन हेतु मुख्यालय के परिपत्र संख्या-2843/कार्मिक/न-83/2009 दिनांक 28-5-2009 में उल्लिखित 36 बिन्दुओं पर प्रस्ताव इस कार्यालय-ज्ञाप के आलोक में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(रणजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1- मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
2- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड्स, उ०प्र०, लखनऊ।
3- समस्त डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
4- मुख्यालय के सभी संवर्गों के सेवा अधिष्ठान पटल सहायकों को।
5- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
8- मण्डलीय कमाण्डेन्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, गोरखपुर।
9- गार्ड फाइल पर अभिलेखार्थ।

(रणजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल